मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

शुद्धि पत्र क्रमांक-02/05/परीक्षा/2009/01/02/2010

रोजगार और निर्माण के अंक दिनांक 21.12.2009 के अंक में राज्य सेवा परीक्षा 2009 का विज्ञापन क्रमांक-5/परीक्षा/2009/21.12.2009 जारी किया गया था। जिसमें उप पुलिस अधीक्षक के 13 पद निम्नानुसार सम्मिलित किये जाते हैं-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से विकलांगों के लिये आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भू.पू. सैनिकों के लिये आरक्षित पद	कुल	वेतनमान
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	उप पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग	07	02	02	02	02	-	01	01	-	-	13	15600-39100-5400

(A) राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के आवेदकों के लिए आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें एवं शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा -

(अ) **आयु सीमा**- आवेदक द्वारा 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, किन्तु 25 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो।

(एक) आयु सीमा में छूटें -

(1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(3) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।

(4) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया हुआ, सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण - "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से घोतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संगठक ईकाईयों की सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम छः मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(5) स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा, उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(6) विधवा, परित्यगता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(7) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें -

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40/आ./84 (3) , दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामन्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03-09-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जावेगी।
3. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29-06-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप- (i) (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिन्दु क्रमांक (एक) के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गो के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(ii) (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सार्वाधिक लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

(iii) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित है। सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें। ऐसे आवेदकों को (एक) में अंकित उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नही होगा परंतु (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

नोटः- उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(B) उप-पुलिस अधीक्षक के पद हेतु शारीरिक मानक संशोधित विभागीय भर्ती नियमों के आधार पर निम्नानुसार होंगे-

पद का नाम		ऊंचाई से.मी.	सीने का घेरा: बगैर फुलाये से.मी.	सीने का घेरा: पूर्णतः फुलाने पर से.मी.
उप-पुलिस अधीक्षक	पुरुष	168	84	89
	महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	

(क) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिये।

(ख) अभ्यर्थी को चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होना चाहिये और दृष्टि संबंधी जांच (विजन टेस्ट) में निकट दृष्टि दोष नहीं होनी चाहिये। उसकी रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिये उसे मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिये।

उपरोक्त शारीरिक मानक नियुक्ति के पूर्व शारीरिक परीक्षण के समय पूर्ण करना आवश्यक है।

(C) जो आवेदक पूर्व में ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं एवं उपपुलिस अधीक्षक के उपरोक्त मापदंड को पूरा करतें है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उप पुलिस अधीक्षक के पद हेतु भी विचारित किया जायेगा।

(D) राज्य सेवा परीक्षा 2009 के लिये जिन आवेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें परीक्षा में शामिल करने के अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं, वे आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर याचिका क्रमांक तथा निर्णय दिनांक की प्रविष्टि कर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों द्वारा दो पृष्ठीय रसीद के साथ उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की स्वप्रमाणित प्रति दिनांक 28.02.2010 तक आयोग को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(E) राज्य सेवा परीक्षा 2009 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 31.01.2010 को बढ़ाते हुए अब 15.02.2010 (रात्रि 12:00 बजे तक) नियत की जाती है।**

(F) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2009 की परीक्षा तिथि 18.04.2010 के स्थान पर 09.05.2010 नियत की जाती है।

विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

जी-21152/आर-4412/2010 **सचिव**